RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Jhalana institutional Area,Jaipur-302004
Phone: 5101871,5101872 EPBX: 5159600,5159699 Fax: 5159694-97www.rpcb.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ12 (जन. 08)राप्रनिम/माईन्स/ 5011 दिनांकः 3/10/18

निदेशक,

विज्ञापन शाखा,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

राजस्थान सरकार,

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित खनन पट्टाधारकों के संबंध में पारित आदेशों की अनुपालना हेतु आम सूचना प्रकाशित करने बाबत्।

महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित खनन पट्टाधारकों के संबंध में पारित आदेशों की अनुपालना हेतु आम सूचना संलग्न कर अनुरोध है कि इस सूचना को राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

इस आम सूचना के प्रकाशन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

IT-333 22/10/18

क्रमांकः एफ12 (जन. 08)राप्रनिम/माईन्स/ दिनांकः

प्रतिलिपिः पर्यावरण अभियंता, आई.टी. शाखा, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

सदस्य सचिव

Ontozer to ... from 8th to 17th ...

Programe

22/10/18

Scanned by CamScanner

सदस्य सचिव

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Jhalana institutional Area,Jaipur-302004
Phone: 5101871,5101872 EPBX: 5159600,5159699 Fax: 5159694-97www.rpcb.rajasthan.gov.in

आम–सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किये जाने तक समस्त वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि का समूचा क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित किया गया है।

वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त खनन पट्टाधारियों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति प्राप्त किये खनन कार्य किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

अतः राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त खनन पट्टाधारकों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र अविलम्ब प्रस्तुत कर पावती की एक प्रति 15 दिवस में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। ऐसा करने में असफल रहने वाली खनन इकाइयों के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981/जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत उचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner